संख्या-169/2016/990/22-2-2016-17(92)/2008

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 29 सितम्बर,2016***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री जीत सिंह, जनपद-शाहजहांपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 17010/प्रो0-5-दया0-अन्य-118/19-05-2016 दिनांक 01-06-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री जीत सिंह, ग्राम-भांवी, थाना-बण्डा, जनपद-शाहजहांपुर का निवासी है। बन्दी द्वारा जमीनी विवाद को लेकर दिनांक 04.04.2001 को 05 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक व रायफल से 01 व्यक्ति की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-433/2002 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 364, 307/302/201/149 के अन्तर्गत मा0 स्पेशल जज एस0सी0एस0टी0, एक्ट, पीलीभीत द्वारा दिनांक 22-09-2004 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी के 04 अन्य सहअभियुक्त कारागार में सजा भोग रहे है तथा 01 अन्य सहअभियुक्त मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त। बन्दी द्वारा दिनांक 04-05-2016 तक 12 वर्ष 08 माह 27 दिन की अपरिहार एवं 16 वर्ष की 06 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी के विरूद्ध गम्भीर अपराध को दृष्टिगत रखते हुए जेल में और आगे निरूद्ध रखना उचित होगा, की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी सुरेन्द्र सिंह (बन्दी संख्या-39958) पुत्र श्री जीत सिंह, निवासी जनपद-शाहजहांपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-169/2016/990/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली ।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in